

उत्तराखण्ड लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2025
(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या- वर्ष 2025)

लोकतंत्र सेनानी, जिन्होंने आपातकालीन अवधि (दिनांक 25.06.1975 से दिनांक 21.03.1977 तक) में लोकतंत्र की रक्षा के लिये सक्रिय रूप से संघर्ष किया एवं जो इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, 1971 (1971 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-26) (निरसित), भारत रक्षा नियम, 1971 (निरसित) के अधीन कारागार में निरूद्ध रहे हों, को अथवा उनकी विधवा पत्नी अथवा उनके विधुर पति को 'लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि', उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में राज्य के भीतर निःशुल्क यात्रा सुविधा तथा राजकीय चिकित्सालयों के अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा एवं "आयुष्मान भारत योजना" के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा सूचीबद्ध चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने और उनसे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने हेतु

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2025 है।
 - (2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर लागू होगा।
 - (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

- परिभाषायें
- जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :-
 - "लोकतंत्र सेनानी" से उत्तराखण्ड के ऐसे स्थायी निवासी अभिप्रेत हैं, जिन्होंने आपातकालीन अवधि अर्थात् दिनांक 25.06.1975 से दिनांक 21.03.1977 तक लोकतंत्र की रक्षा के लिये सक्रिय रूप से संघर्ष किया और जो इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, 1971(निरसित)/भारत रक्षा नियम, 1971 (निरसित) के अधीन कारागार में राजनैतिक आधार पर इस अवधि के दौरान किसी भी समय एक माह से अधिक निरूद्ध रहे हों;
 - "निःशुल्क चिकित्सा सुविधा" से राजकीय चिकित्सालयों में प्रदान की जाने वाली सुविधा अभिप्रेत है तथा निजी चिकित्सालयों के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली निःशुल्क चिकित्सा सुविधा से आशय आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा सूचीबद्ध चिकित्सालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सुविधा से है;
 - "निःशुल्क परिवहन सुविधा" से उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में राज्य के भीतर दी जाने वाली निःशुल्क यात्रा सुविधा अभिप्रेत है ;
 - "लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि" से लोकतंत्र सेनानी अथवा उनकी

विधवा पत्नी अथवा उनके विधुर पति को दी जाने वाली सम्मान राशि की ऐसी धनराशि अभिप्रेत है, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाय;

(ड) "राजनैतिक दण्ड" से दिनांक 25.06.1975 से दिनांक 21.03.1977 के मध्य आपातकाल के राजनैतिक विरोध के फलस्वरूप आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, 1971 (निरसित)/भारत रक्षा नियम, 1971 (निरसित) के अधीन अधिरोपित धाराएं अभिप्रेत हैं।

अधिनियम
का
कतिपय
व्यक्तियों
पर लागू
न होना

3. इस अधिनियम के उपबन्ध निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे:-
(क) राजनैतिक दण्ड से भिन्न आधार पर कारागार में निरूद्ध व्यक्ति;
(ख) ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि व अन्य सुविधायें प्राप्त करने हेतु अपनी पात्रता स्थापित करने के लिये या किसी अन्य व्यक्ति की पात्रता स्थापित करने के लिये असत्य विवरण या सूचना या प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हो।

लोकतंत्र
सेनानी
सम्मान
राशि
स्वीकृत
करने का
अधिकार

4. (1) इस अधिनियम के अधीन लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि परिशिष्ट 'क' में निर्धारित प्रपत्र में सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी की संस्तुति पर शासन स्तर से स्वीकृत की जायेगी और इस हेतु आवेदकों के चिन्हीकरण हेतु अंतिम तिथि इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि से एक वर्ष तक ही होगी।
(2) शासन स्तर से लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि आवेदक द्वारा आवेदन किये जाने की तिथि से स्वीकृत की जायेगी और तदोपरान्त भुगतान से संबंधित कार्यवाही संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी, परन्तु यह धारा-6(1) के अंतर्गत किये गये आवेदन पर लागू नहीं होगी।
(3) (i) लोकतंत्र सेनानी उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी हो तथा आपातकालीन अवधि, दिनांक 25.06.1975 से दिनांक 21.03.1977 तक देश के किसी भी जेल में आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, 1971 (निरसित)/भारत रक्षा नियम, 1971 (निरसित) के अधीन निरूद्ध रहा हो और इस हेतु संबंधित कारागार के कारागार अधीक्षक द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र अपरिहार्य होगा, जिसकी पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर से की जायेगी;
(ii) जिन लोकतंत्र सेनानियों के अभिलेख जिला कारागार में उपलब्ध नहीं हैं अथवा नष्ट हो गये हैं, उनके प्रकरणों पर विचार करते समय सम्बन्धित जिलाधिकारी आवश्यक सत्यापन के उपरान्त अन्य उपलब्ध सुसंगत अभिलेखों से अपना यह समाधान कर लेंगे कि आपातकालीन अवधि, दिनांक 25.06.1975 से दिनांक 21.03.1977 तक, में लोकतंत्र की रक्षा हेतु आपातकाल के विरोध में राजनैतिक विरोध के फलस्वरूप

आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, 1971 (निरसित)/भारत रक्षा नियम, 1971 (निरसित) के अधीन सम्बन्धित धाराओं में आवेदक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई हो एवं उसकी गिरफ्तारी/निरुद्धि की पुष्टि होती हो;

(iii) जिन लोकतंत्र सेनानियों के विरुद्ध आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, 1971(निरसित)/भारत रक्षा नियम, 1971 (निरसित) के अतिरिक्त अन्य दंडिक धारायें भी लगी हैं, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारी अपने स्तर से यह समाधान कर लेंगे कि ऐसी अन्य धारायें आपातकालीन अवधि में लोकतंत्र की रक्षा के लिये संघर्ष करते समय आपातकाल के विरोध में लगी हों तथा गिरफ्तारी/निरुद्धि राजनैतिक कारणों से इतर न रही हो;

(iv) जिन मामलों में आवेदनकर्ता एक से अधिक जिलों से लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन कर रहा हो, सम्बन्धित जिलाधिकारी उनसे इस आशय का शपथ-पत्र प्राप्त कर लेंगे कि उनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के केवल एक ही जनपद से आवेदन किया गया है तथा इस हेतु किसी अन्य राज्य में आवेदन नहीं किया गया है ;

(v) लोकतंत्र सेनानी अथवा उनकी विधवा पत्नी अथवा उनके विधुर पति द्वारा लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने एवं तदक्रम में लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि स्वीकृत होने की दशा में उन्हें प्रचलित, सुसंगत तथा समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों में विहित निर्देशों के क्रम में लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि का भुगतान किया जायेगा।

(vi) इस अधिनियम के प्रवर्तन से पूर्व चिन्हित लोकतंत्र सेनानी अथवा उनकी विधवा पत्नी अथवा उनके विधुर पति जिन्हें "लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन" प्राप्त हो रही है, को लोकतंत्र सेनानी पेंशन यथावत प्राप्त होती रहेगी, जिसे अब अधिनियम के प्रवर्तन के उपरान्त "लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि" से अभिहित किया जायेगा।

(4) लोकतंत्र सेनानी अथवा उनकी विधवा पत्नी अथवा उनके विधुर पति को एक सहचर सहित उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में राज्य के भीतर निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जायेगी।

(5) राज्य सरकार का चिकित्सा विभाग लोकतंत्र सेनानियों अथवा उनकी विधवा पत्नी अथवा विधुर पति को राजकीय चिकित्सालयों के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सा सुविधा तथा "आयुष्मान भारत योजना" के माध्यम से निजी चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायेगा।

(6) सम्बन्धित जिलाधिकारी प्रचलित शासनादेश/कार्यकारी आदेश के क्रम में लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि के आहरण हेतु देय राशि का

बिल सम्बन्धित कोषागार में प्रस्तुत करेंगे। बिल के साथ लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि पाने वाले व्यक्ति का नाम, बचत बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम और बैंकवार धनराशि का विवरण संलग्न किया जायेगा। तत्पश्चात इन विवरणों के अनुसार ही सम्बन्धित कोषागार, लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि पाने वाले व्यक्तियों के बैंक खाता में सीधे लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि जमा करेगा। किसी भी दशा में अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।

(7) लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि एवं अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित समस्त अभिलेख सुरक्षित रखे जायेंगे तथा सुसंगत नियमों के अनुसार उनका लेखा परीक्षण कराना होगा।

लोकतंत्र
सेनानी
सम्मान
राशि
निरस्त
करना

5. इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि एवं अन्य सुविधाएं निम्नलिखित आधार पर अथवा किसी अन्य कारण से किसी भी समय बिना कोई कारण बताये व बिना नोटिस दिये निरस्त की जा सकती है :-
- (i) नैतिक अधमता के अपराध तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग लेने के कारण;
 - (ii) राजनैतिक दण्ड को छोड़कर किसी अन्य अपराध में दण्डित होने के कारण;
 - (iii) धारा 3 के अधीन उल्लिखित अपात्रता के बावजूद लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि प्राप्त करने के कारण;
 - (iv) असत्य सूचना और असत्य शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के कारण।

लोकतंत्र
सेनानी
की मृत्यु
की दशा
में प्रक्रिया

6. (1) लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि प्राप्त कर रहे लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु की दशा में उनकी मृत्यु के अगले दिन से उनकी विधवा पत्नी अथवा उनके विधुर पति को समान लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि स्वीकृत की जायेगी।
- (2) यदि लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि प्राप्त किये जाने से पूर्व लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु हो गयी हो और तदक्रम में उनकी आश्रित विधवा पत्नी अथवा विधुर पति द्वारा लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भुगतान आवेदन की तिथि से किया जायेगा।
- (3) किसी भी लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु की दशा में उनकी अंत्येष्टि क्रिया राजकीय सम्मान के साथ की जायेगी।

लोकतंत्र
सेनानी
सम्मान
राशि हेतु

7. (1) इस अधिनियम के अधीन लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि स्वीकृति के लिये आवेदन-पत्र परिशिष्ट-क में दिये गये प्रपत्र में सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।
- (2) आवेदक द्वारा कारागार में निरुद्ध रहने के समर्थन में निर्धारित

- आवेदन करने की रीति
- आवेदन-पत्र के साथ सम्बन्धित जेल अधीक्षक द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
- (3) राज्य सरकार किसी भी प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में, यदि आवश्यक हो, जाँच करा सकती है।
- लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि की वसूली
8. (1) धारा 5 के अधीन किसी आवेदक की लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि के निरस्त किये जाने की दशा में पूर्व में प्राप्त की गयी लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि की वसूली उससे भू-राजस्व के बकाये के रूप में की जायेगी।
- (2) लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि की स्वीकृति हेतु की गयी संस्तुति में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये संबंधित जिले का जिलाधिकारी जांच कराते हुए उत्तरदायित्व का निर्धारण करेगा।
- नियम बनाने की शक्ति
9. राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है तथा कार्यकारी आदेश भी निर्गत कर सकती है।
- कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति
10. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार ऐसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि में, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुये, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक व समीचीन समझे, प्रभावी होंगे।
- (2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

परिशिष्ट 'क'
धारा-4(1) देखिये
लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि के लिये आवेदन पत्र
आवेदन पत्र का प्रारूप

1. आवेदक/आवेदिका का नाम.....
 2. पिता/पति/पत्नी का नाम.....
 3. पूरा पता: स्थायी पता.....
 4. क्या आवेदक उत्तराखण्ड का निवासी है
 5. जेल में निरूद्ध रहने की अवधि.....
(निरूद्ध होने तथा मुक्त होने की तिथि).....
 6. निरूद्ध रहने का स्थान तथा जिले का नाम जहां यह स्थित है.....
 7. कार्यकलापों का विवरण जिसमें वह निरूद्ध किया गया.....
- (यह प्रमाण पत्र जेल, प्रमाण पत्र के अतिरिक्त संलग्न करना अनिवार्य होगा।)
8. अधिनियम एवं धाराएं जिनके अधीन जेल में निरूद्ध किया गया.....
 9. निरूद्ध किये जाने से सम्बन्धी दस्तावेज की सत्यापित प्रतियां.....
 10. ऊपर मद संख्या-7 में दिये गये विवरण का साक्ष्य.....

स्व प्रमाणित
फोटो

(यह प्रमाण-पत्र दो लोकतंत्र सेनानी, जिनको लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि स्वीकृत हो चुकी है अथवा जो आवेदक के साथ सहबंदी (कोप्रिजनर) रहे हों, द्वारा दिया जायेगा, जिसमें आपातकालीन अवधि के दौरान राजनैतिक कारणों से भोगी गयी जेल की अवधि निर्दिष्ट हो)।

आवेदक द्वारा शपथ-पत्र

एतद्वारा मैं सत्य-निष्ठापूर्वक यह शपथ लेता/लेती हूँ कि उपरोक्त विवरण पूर्णतया सही हैं। यदि कोई विवरण गलत पाया जाय, तो शासन को अधिकार होगा कि मेरी लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि निरस्त कर दी जाय और उसे भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूल कर ली जाय।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाण-पत्र

संख्या-.....

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा ऊपर दिये गये विवरणों की जांच कर ली गई है और उन्हें सही पाया गया है।

जिलाधिकारी
मुहर

नोट :- (1)

(2)

उद्देश्य और कारण

आपातकालीन अवधि (दिनांक 25.06.1975 से दिनांक 21.03.1977) के दौरान असंख्य व्यक्तियों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिये संघर्ष किया था, जिससे कि लोकतंत्र की बहाली हो सकी। आपातकालीन अवधि में लोकतंत्र की रक्षा के लिये सक्रिय रहते हुये संघर्ष करने एवं इसके फलस्वरूप आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, 1971(निरसित)/भारत रक्षा अधिनियम, 1971 (निरसित) में कारागार में निरुद्ध रहे उत्तराखण्ड के राजनैतिक बन्दियों/लोकतंत्र सेनानियों को दिनांक 14.06.2017 से प्रतिमाह "लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन" दी जा रही है तथा उक्त संदर्भित पेंशन की प्राप्ति से पूर्व दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों की आश्रित विधवा पत्नी अथवा उनके विधुर पति को भी " लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन" प्रदान की जा रही है।

अतएव अब, यह विनिश्चय किया गया है कि एक विधि बनाकर उत्तराखण्ड के ऐसे व्यक्तियों, जिन्होंने आपातकालीन अवधि (दिनांक 25.06.1975 से दिनांक 21.03.1977) में लोकतंत्र की रक्षा के लिये सक्रिय रूप से संघर्ष किया एवं जो इन क्रियाकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप, राजनैतिक विरोध के फलस्वरूप आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, 1971(निरसित)/भारत रक्षा अधिनियम, 1971 (निरसित) के अधीन कारागार में निरुद्ध रहे हों, को लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि तथा अन्य सुविधायें प्रदान करने की व्यवस्था की जाय।

2- प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री

विधायी ज्ञापन

- 1- प्रस्तावित विधेयक द्वारा उत्तराखण्ड लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2025 को अधिनियमित किया जाना है।
- 2- प्रस्तावित विधेयक में विधायी शक्तियों का सामान्य प्रत्यायोजन मात्र निहित है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री

वित्तीय ज्ञापन

- 1- प्रस्तावित विधेयक द्वारा उत्तराखण्ड लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2025 को अधिनियमित किया जाना है।
- 2- प्रस्तावित विधेयक में राज्य की संचित निधि से आवर्ती व्यय अंतर्निहित है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री

खण्डवार विवरणों का ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक द्वारा उत्तराखण्ड लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2025 को अधिनियमित किया जाना है।

1. विधेयक के खण्ड 1 में विधेयक का संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
2. विधेयक के खण्ड 2 में परिभाषाओं का उपबंध प्रस्तावित है।
3. विधेयक के खण्ड 3 में अधिनियम का कतिपय व्यक्तियों पर लागू न होना का उपबंध प्रस्तावित है।
4. विधेयक के खण्ड 4 में लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि स्वीकृत करने का अधिकार का उपबंध प्रस्तावित है।
5. विधेयक के खण्ड 5 में लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि निरस्त करना का उपबंध प्रस्तावित है।
6. विधेयक के खण्ड 6 में लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु की दशा में प्रक्रिया का उपबंध प्रस्तावित है।
7. विधेयक के खण्ड 7 में सम्मान राशि हेतु आवेदन करने की रीति का उपबंध प्रस्तावित है।
8. विधेयक के खण्ड 8 में लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि की वसूली का उपबंध प्रस्तावित है।
9. विधेयक के खण्ड 9 में नियम बनाने की शक्ति का उपबंध प्रस्तावित है।
10. विधेयक के खण्ड 10 में कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति का उपबंध प्रस्तावित है।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री

The Uttarakhand Democracy Fighters Honour Bill, 2025

(Uttarakhand Bill No. ____ of the Year 2025)

A

Bill

to provide for the grant of "Democracy Fighter Honour Amount" to the Democracy Fighters who actively participated in the defence of democracy during the Emergency period (from the 25th day of June, 1975 to the 21st day of March, 1977) and, as a consequence of such participation, were detained under the Maintenance of Internal Security Act, 1971 {Act No. 26 of 1971 (Repealed)}/ the Defence of India Rules, 1971 (Repealed) and to provide for free travel facility within the State in the buses of the Uttarakhand Transport Corporation; to provide for free medical facilities in Government Hospitals and under the "Ayushman Bharat Scheme" by the State empanelled hospitals; and to make provisions for matters connected therewith or incidental thereto;

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislature in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:

- Short title, extent and commencement**
- (1) This Act may be called the Uttarakhand Democracy Fighters Honour Act, 2025.

(2) It shall extend to the whole of the State of Uttarakhand.

(3) It shall come into force at once.
- Definitions**
- In this Act, unless the context otherwise requires—

(a) "**Democracy Fighter**" means a permanent resident of Uttarakhand who actively participated in the movement for protection of democracy during the Emergency period, namely from the 25th day of June, 1975 to the 21st day of March, 1977, and who, on account of such participation, was detained for a period exceeding one month at any time during the 25th day of June, 1975 to the 21st day of March, 1977 period under Maintenance of Internal Security Act, 1971 (Repealed) / the Defence of India Rules, 1971 (Repealed) on political grounds;

(b) "**Free Medical Facility**" means the facility provided in Government Hospitals and, in respect of private hospitals, refers to the facility provided under the Ayushman Bharat

Scheme by the State empanelled hospitals;

(c) "Free Transport Facility" means free travel within the State in the buses of the Uttarakhand Transport Corporation;

(d) "Democracy Fighter Honour Amount" means such amount of money as may be determined from time to time by the State Government, payable to a Democracy Fighter or his widow or her widower;

(e) "Political Punishment" means the sections imposed under the Maintenance of Internal Security Act, 1971 (Repealed) / the Defence of India Rules, 1971 (Repealed) during the period from 25-06-1975 to 21-03-1977 due to political opposition to the emergency.

*Non
Applicability of
Act on certain
person*

3. The provisions of this Act shall not apply to—

(1) Persons detained in prison on grounds other than political grounds;

(2) Persons who, for the purpose of obtaining the Democracy Fighter Honour Amount or other facilities for themselves or for any other person, have submitted false particulars, information or certificates.

*Authority for
sanctioning
Democracy
Fighter Honour
Amount*

4. (1) The Democracy Fighter Honour Amount under this Act shall be sanctioned by the Government level on the recommendation of the District Magistrate concerned, in the form prescribed in Schedule "A", and the last date for identification of applicants for this purpose shall be one year from the date of commencement of this Act.

(2) The Democracy Fighter Honour Amount shall be sanctioned by the Government level from the date of application by the applicant and subsequent action regarding payment will be taken by the District Magistrate of the concerned district, except in the case of applicants under section 6(1).

(3) (i) The Democracy Fighter must be a permanent resident of Uttarakhand and must have been detained under Maintenance of Internal Security Act, 1971 (Repealed) / the Defence of India Rules, 1971 (Repealed) in any jail in the

country during the Emergency period from the 25th day of June, 1975 to the 21st day of March, 1977. A certificate to this effect issued by the Superintendent of the concerned prison shall be mandatory, and shall be verified by the District Magistrate;

(ii) Where records are not available or have been destroyed, the District Magistrate, upon necessary verification, may satisfy himself on the basis of other relevant records that the applicant had been booked under relevant provisions of Maintenance of Internal Security Act, 1971 (Repealed) / the Defence of India Rules, 1971 (Repealed) during the said period for opposing the Emergency, and that his arrest/detention is confirmed;

(iii) Where charges under laws other than Maintenance of Internal Security Act, 1971 (Repealed) / the Defence of India Rules, 1971 (Repealed) were also invoked, the District Magistrate shall satisfy himself that such charges arose in connection with the struggle against the Emergency and not for reasons unconnected with political causes;

(iv) Where an applicant applies from more than one district, the District Magistrate shall obtain from him an affidavit stating that he has applied from only one district within Uttarakhand and has not applied in any other State;

(v) On submission of an application by a Democracy Fighter or his widow/widower and consequent sanction of the Democracy Fighter Honour Amount, payment shall be made in accordance with prevailing, relevant and periodically issued Government Orders;

(vi) The identified Democracy Fighter or his widow/widower who are receiving "Democracy Fighter Honour Pension" before the enactment of this act, will continue to receive "Democracy Fighter Honour Pension" as before which will now be called "Democracy Fighter Honour Amount" after the enactment of this act;

(4) The Democracy Fighter or his widow/widower shall be entitled, along with one companion, to free travel within the State in the buses of the Uttarakhand Transport Corporation;

(5) The Medical Department of the State Government shall provide free medical facilities to the Democracy Fighter or

his widow/widower in Government Hospitals and under the "Ayushman Bharat Scheme" by the State empanelled hospitals;

(6) The concerned District Magistrate shall submit the bill for withdrawal of payable amount to the concerned Treasury along with the name, savings bank account number, name of the bank, and bank-wise details of the amounts payable to the recipients, in accordance with prevailing Government/Executive Orders. The Treasury shall directly credit the Democracy Fighter Honour Amount to the bank accounts of the recipients. No advance payment shall be made in any case;

(7) All records relating to the Democracy Fighter Honour Amount and other facilities shall be preserved and audited as per relevant rules.

***Cancellation of
Democracy
Fighter Honour
Amount***

5. The Democracy Fighter Honour Amount and other facilities sanctioned under this Act may be withdrawn at any time, without assigning any reason and without notice, on the following grounds or for any other cause—

(i) Conviction for an offence involving moral turpitude or participation in anti-national activities;

(ii) Conviction for any offence other than a political offence;

(iii) Receipt of Democracy Fighter Honour Amount despite ineligibility under section 3;

(iv) Submission of false information or a false affidavit.

***Process in case
of death of
Democracy
Fighter***

6. (1) Upon the death of a Democracy Fighter receiving the Democracy Fighter Honour Amount, the same shall be sanctioned to his widow or her widower with effect from the day following the date of death.

(2) Where the Democracy Fighter dies before receiving the Democracy Fighter Honour Amount and his dependent widow/widower applies for the Democracy Fighter honour amount, payment shall be made from the date of application.

(3) In the event of the death of any Democracy Fighter, his cremation shall be conducted with State honours.

*Manner of
application for
Democracy
Fighter Honour
Amount*

7. (1) An application for the Democracy Fighter Honour Amount under this Act shall be submitted to the District Magistrate in the form prescribed in Schedule "A".
- (2) The application shall be accompanied by a certificate from the concerned Jail Superintendent in support of detention.
- (3) The State Government may, if necessary, cause an inquiry into any application.

*Recovery of
Democracy
Fighter Honour
Amount*

8. (1) In the event of withdrawal of the Democracy Fighter Honour Amount under section 5, recovery thereof shall be made as arrears of land revenue.
- (2) In the event of any error in recommendation for sanction of Democracy Fighter Honour Amount, the District Magistrate shall cause an inquiry and fix responsibility.

*Power to make
rules*

9. The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules and issue executive orders for carrying out the purposes of this Act.

*Power to
remove
difficulties*

10. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, give such directions as may appear necessary or expedient for the purpose of removing such difficulty, and the provisions of this Act shall have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as may be so specified.
- (2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiry of two years from the commencement of this Act.


SCHEDULE "A"

(See section 4(1))

Form of Application for Democracy Fighter Honour Amount

Format for Application

1. Name of the Applicant:
 2. Name of Father/Husband/Wife:
 3. Full Address: Permanent Address:
 4. Whether the applicant is a resident of Uttarakhand
 5. Period of detention in jail:
(Date of detention and date of release)
 6. Place of detention and name of the district where located:
 7. Details of the activities for which detained:
(This certificate shall be in addition to the jail certificate and shall be mandatorily attached.)
 8. Act and sections under which detained in jail:
 9. Attested copies of documents relating to detention:.....
 10. Evidence in support of the particulars given at item number 7:
- (This certificate shall be given by two Democracy Fighters who have already been sanctioned the Democracy Fighter Honour Amount or who had been co-prisoners with the applicant, specifying the period of imprisonment suffered for political reasons during the Emergency period.)*



Affidavit by the Applicant

I, hereby, do solemnly affirm that the particulars given above are true and correct in all respects. Should any particulars be found false, the Government shall have the right to cancel my Democracy Fighter Honour Amount and recover the same as arrears of land revenue.

Signature of the Applicant:

Certificate

No.:

It is hereby certified that the particulars given above have been verified by me and have been found to be correct.

District Magistrate
(Seal)

Note:

- (1)
- (2)

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

During the Emergency period (from the 25th day of June, 1975 to the 21st day of March, 1977), numerous persons struggled for the protection of democracy, resulting in its restoration. From the 14th day of June, 2017, the State of Uttarakhand has been granting a monthly "Democracy Fighter Honour Pension" to political prisoners/Democracy Fighters of Uttarakhand who, due to their active participation in defending democracy during the Emergency, were detained under the Maintenance of Internal Security Act, 1971 (Repealed) or the Defence of India Rules, 1971 (Repealed). The said "Democracy Fighter Honour Pension" is also being granted to the dependent widow or widower of such Democracy Fighters who died prior to receipt of the aforesaid pension.

It has now been decided to enact a law to provide, to such persons of Uttarakhand who actively participated in the defence of democracy during the Emergency period (from the 25th day of June, 1975 to the 21st day of March, 1977) and who, as a consequence of such participation, were detained under Maintenance of Internal Security Act, 1971 (Repealed) or the Defence of India Rules, 1971 (Repealed), the Democracy Fighter Honour Amount and other facilities.

2- The Proposed Bill fulfills the aforesaid objectives.

Pushkar Singh Dhama
Chief Minister

Legislative Memorandum

01- The Uttarakhand Democracy Fighters Honour Bill, 2025 is to be enacted by the proposed bill.

02- The proposed Bill contains only general delegation of legislative powers.

Pushkar Singh Dhami
Chief Minister

Financial Memorandum

- 01- The Uttarakhand Democracy Fighters Honour Bill, 2025 is to be enacted by the proposed Bill.
- 02- The proposed Bill involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of the State.

Pushkar Singh Dhami
Chief Minister

Memorandum of clause- wise details

The Uttarakhand Democracy Fighters Honour Bill, 2025 is to be enacted through the proposed bill.

1. In Clause 1 of the provisions of the Short title, extent and commencement are proposed.
2. In Clause 2 of the Bill the provision of Definitions are proposed.
3. In Clause 3 of the Bill the provision of the Non Applicability of Act on certian is proposed.
4. In Clause 4 of the Bill the provision of the Authority for sanctioning Honour Amount is proposed.
5. In Clause 5 of the Bill the provision of Cancellation of Democracy fighter honour Amount is proposed.
6. In Clause 6 of the Bill the provision of the Process in case of death of Democracy Fighter is proposed.
7. In Clause 7 of the Bill the provision of Manner of application for Honour Amount is proposed.
8. In Clause 8 of the Bill the provision of Recovery of Democracy fighter Honour Amount is proposed.
9. In Clause 9 of the Bill the provision of the Power to make rules is proposed.
10. In Clause 10 of the Bill the provision of the Power to remove difficulties is proposed.

Pushkar Singh Dhami
Chief Minister